

Mail

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./2023/ 26070

दिनांक : 18/8/23

:: आ दे ए ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक जी/आई/ए-4(i)(a)130/13/930 दिनांक 25.08.2022 के अनुसरण में एवं इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक स्था./2021/27764 दिनांक 25.08.2021 की निरन्तरता में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./2022/27812 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा श्री किशनलाल सैनी, सेवानिवृत्त प्रोसेस सर्वर कार्यरत कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ़ की राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम में संलग्न पेंशन नियम 1996 के नियम 164-ए के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद के विरुद्ध निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति अवधि एक वर्ष और अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि से, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाई गई थी। श्री किशनलाल सैनी, सेवानिवृत्त प्रोसेस सर्वर की विस्तारित पुनर्नियुक्ति अवधि दिनांक 24.08.2023 को समाप्त होने जा रही है।

अतः श्री किशनलाल सैनी, सेवानिवृत्त प्रोसेस सर्वर की संविदा पर पुनर्नियुक्ति दिनांक 24.08.2023 को अपराहन से एतद्वारा समाप्त घोषित की जाती है।

उक्त सेवानिवृत्त कार्मिक को संबंधित कार्यालय के पीठासीन अधिकारी दिनांक 24.08.2023 को अपराहन में कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को पालना रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

sd-

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अ ल व र

दिनांक : 18/8/23

Mail

क्रमांक : स्था./2023/ 26071-78

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ़
2. नाजिर, जिला न्यायालय, अलवर
3. उप-कोषाधिकारी, उप-कोषागार, राजगढ़
4. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।
5. सम्बंधित कर्मचारी/लेखा शाखा/रक्षित पत्रावली।

sd-

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अ ल व र